ISSN No-2230-7850 Vol.1,Issue.IX/Sept 11pp.1-4

Research Paper -Economic

ग्रामीण भारत में ऋण सुविधा और ऋणग्रस्तता

राजेश गंगाधरराव उंबरकर
अर्थशास्त्र विभाग,
नेताजी सुभाषचंद्र बोस, महाविद्यालय, नांदेड

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि की भूमिका सर्वाधिक है। 70ः ग्रामीण जनसंख्या कृषि व संबंधित कियाओं से ही अपनी आजीविका प्राप्त करती है। अतः कृषि का विकास करके ही ग्रामीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना संभव है। इस तथ्य को देखते हुए सहकारी समितीयों के व्दारा कृषि विकास करके कृषकों को जीवन–स्तर में सुधार लाने हेतु अनेक प्रभावी कदम उठाए गए। फसल ऋण योजना के कियान्वयन, लघुकृषकों को ऋण में प्राथमितता तथा किसानों में बचत प्रवृत्ती को विकसित करने हेतु सहकारी समितियों ने विशेष कदम उठाए। इन सबके बावजूद भी सहकारी समितियां किसानों की वित संबंधी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरी करने में आंशिक सफल हुई है। आजादी के बाद देश के सामने जो चुनौतियां थी उन में सबसे बडी चुनौती थी ग्रामीणों के आधरभूत जीवन में सुधार के लिए उन्हें पूंजी उपलब्ध कराना। ग्रामीण जनजीवन में हर कोई किसी न किसी रूप में खेती से जुडा हुआ है। यानी जब तक खेती करने वाले किसान समृध्द नहीं होंगे तब तक देश की पूर्ण समृध्दि की

किसान क्रेडिट कार्ड ने गावों में रह रहे लोगों की ऋण समस्या को खत्म कर दिया है। इसके जरीए किसानों को समय पर पैसा उपलब्ध हो रहा है। ग्रामीण एवं कृषि विकास हेतु, ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का योगदान भी महत्त्वपूर्ण साबित हो रहा है। इन बैंको के व्दारा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिती सुदृढ करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से ग्रामीण भारत में लघु ऋण कार्यक्रम के रूप में स्वयंसहायता समूह भी काफी प्रचलित हुए है। यह समूह ग्रामीण व्यवस्था के जरिए गरीबी उन्मूलन के साथ महिला सशक्तीकरण का भी कार्य कर रहे है। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ने भी ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की तकदीर बदल दी है। इस तरह भारत सरकार अपने विभिन्न आयामों व्दारा देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कोने–कोने तक ऋण सुविधाओं को बढावा दे रही है। जिसका लाभ देश के लोगों को मिल रहा है। इस ऋण व्यवस्थाको और सरल किया जाए।

प्रस्तावना :

जिस प्रकार व्यवसायियों को सभी व्यावसायिक कियाकलापों के संचालन एवं विस्तार के लिए वित्त की आवश्यकता होती है उसी तरह से कृषकों को भी कृषि से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के लिए वित्त की आवश्यकता पडती है।

भारतीय कृषकों को कृषि कार्यों के लिए अथवा भूमि पर स्थायी सुधार करने के लिए पर्याप्त एवं सस्ती साख सुलभ नहीं है। कृषि वित्त की विद्यमान व्यवस्था अपर्याप्त तथा महंगी है। जिसके फलस्वरूप कृषि का विकास अवरूद्ध हो गया है। सरकार द्वारा कृषि उत्पादन बढाने के लिए बनाई गई कोई योजना तभी सफल हो सकती है जब कृषकों को उचित समय पर पर्याप्त एवं सस्ती साख सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

कृषि वित्त अथवा साख से तात्पर्य उस वित्त से होता है जिसका उपयोग कृषि से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों को संपादित करने हेतु किया जाता है। कृषि वित्त की आवश्यकता सामान्यतया भूमि पर स्थायी सुधार करने, बीज, खाद, किटनाशक, कृषि यन्त्र पर क्रय करने, सिंचाई की व्यवस्था करने, विपणन सम्बद्ध कार्य करने के लिए हो सकती है।

कृषकों को फार्म से प्राप्त बचत के कम होने के कारण तथा कृषि में तकनीकी के विकास के कारण स्वयं का उपलब्ध धन कृषि व्यवसाय के लिए पर्याप्त नहीं होता है। अतः कृषक आवश्यक पूँजी ऋण लेकर प्राप्त करते हैं। कृषि ऋण से आशय निवेश की जाने वाली उस धन की राशि से है जो फार्म विकास एवं उत्पादकता वृद्धि में सहायक होती है। कृषि ऋण में उत्पादकता वृद्धि के लिए प्राप्त किया गया ऋण एवं उपयोग ऋण, जो कृषकों की दक्षता में वृद्धि करने में सहायक होता है, सम्मिलित होते है।

उदिदष्टये :

1) भारत में ग्रामीण क्षेत्र में ऋण सुविधा के बारे में अध्ययन तथा जानकारी हासील करना।

2) कृषकों के ऋणग्रस्तता के कारण तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए सुझाव निकालना।

3) ग्रामीण भारत के साख के स्त्रोंत एवं वर्तमान स्थिती का अध्ययन करना।

परिकल्पनाए :

1) भारत के ग्रामीण क्षेत्र में ऋण सुविधा में काफी सुधार हुआ है।

2) भारत में कृषि क्षेत्र में ऋणग्रस्तता निर्धन राज्यों कि तुलना में सम्पन्न राज्यों में अधिक है।

संशोधन पध्दती :

प्रस्तुत संशोधन में भारत की ऋणसुविधा एवं ऋणग्रस्तता का अध्ययन किया गया है। इसके लिए संख्यात्मक आकडों का प्रयोग किया है। इस संशोधनात्मक कार्य का मुलाधार व्दितीयक सामुग्री से है। इसके लिए संबंधित किताब एवं राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय मासिकों का आधार लिया गया है।

ग्रामीण सहकारी साख समितियों की प्रगती

वितरण	प्राथमिक कृषि 2004	साख समितीयां 2005
संख्या (लाख रू.)	1.12	1.09
सदस्य संख्या (करोड रू.)	12.36	12.74
ऋणी (करोड रू.)	6.39	4.51
स्वामित्वकोष (करोड रू.)	8198	9197
जमाएं (करोड रू.)	19120	18976
ऋण (करोड रू.)	30278	40429
ऋण निर्गमन	33996	39212

भारत में कृषि क्षेत्र में ऋणग्रस्तता निर्धन राज्यों की तुलना में सम्पन्न राज्यों में अधिक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने 2003 में सर्वेक्षण किया गया जिसके परिणाम 2005 में जारी किए गए और वो निम्नवत है ।

कृषकों में ऋणग्रस्तता (संख्या मिलियन में)

राज्य	कृषक परिवारों की कुल संख्या	ऋणग्रस्त कृषक परिवारों की संख्या	कुलकृषक परिवारों में ऋणग्रस्त परिवारों का प्रतिषत
पश्चिम बंगाल	6.92	3.47	50.1
आन्ध्र प्रदेष	6.03	4.95	82.0
बिहार	7.08	2.33	33.0
छत्तीसगढ+	2.76	1.11	40.2
गुजरात	3.78	1.96	51.9
हरियाणा	1.94	1.03	53.1
झारखण्ड	2.82	0.56	20.9
कर्नाटक	4.04	2.49	61.6
केरल	2.19	1.41	64.4
मध्यप्रदेष	6.32	3.21	50.8
महाराष्ट्र	6.58	3.61	54.8
उडीसा	4.23	2.03	47.8
पंजाब	1.84	1.21	65.4
राजस्थान	5.31	2.78	52.4
तामिलनाडू	3.89	2.90	74.5
उत्तर प्रदेष	17.16	6.92	40.3

इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषक परिवारों पर औसत ऋण भार 12,585 रूपए है, जबकि पंजाब में यह औसत 41,576 रूपये है याने पंजाबके कृषक 300: से भी अधिक ऋणी है।

ऋण प्राप्ति के अनुसार ऋणों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। जो इस प्रकार है। –

1) अल्पकालीन ऋण : अल्पकालीन ऋण वह ऋण है जो कृषकों मोसमी लागत को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। अन्य शब्दों में अल्पकालीन ऋण ऐसे वार्षिक आगतों को खरिदने के लिए प्रदान किये जाते है जो एक वर्ष की अवधी के भीतर पूरी अदायगी करेंगे। अल्पकालीन ऋण एक वर्ष की अवधी में परिपक्त हो जाते है परंतु इनकी भुगतान की अवधी 15 माह होती है।

2) मध्यकालीन ऋण : मध्यकालीन ऋण स्थायी परि संपत्तियों के सृजन के लिए प्रदान किया जाता है। कृषकों को फार्म औजार खरीदने, दुधारू पशु खरीदने, कुआ गहरा करने, भूमि सुधार, कुओं पर मीटर लगाने व बाड लगाने आदि कार्यों के लिए मध्यकालीन ऋण दिया जाता है। मध्यकालीन ऋण की अवधी एक से अधिक की होती है। परंतु अधिकतम 5 वर्ष की होती है। मध्यकालीन ऋणों का भुगतान दो य दो से अधिक मोंसमों के किश्तों के रूप में किया ज ा त ा ह ै ।

3) दीर्घकालीन ऋण : दीर्घकालीन ऋण कृषकों को स्थायी परिसंपत्तीयों के सृजन के लिए दिया जाता है। इसे भूमि क्रय करने भूमि पर स्थायी सुधार करने, ट्रैक्टर एवं अन्य मशिनों को क्रय करने फार्म पर खाद्यान्न संग्रहण के लिए गोदाम बनवाने, पशुशाला भवन का निर्माण करने, कुआं बनवाने व फार्म पर बिजली लगाने आदि कार्यों के लिए स्वीकृत किया जाता है। इन कार्यों में पूँजी निवेश से कृषकों को आय अनेक वर्षों तक प्राप्त होती रहती है। जिससे ऋण का भुगतान लंबे समय में ही हो पाता है। दीर्घकालीन ऋण के भुगतान की अवधी सामान्यतः 5 से 20 वर्ष की होती है।

भारत में कृषि साख के स्त्रोंतों को दो भागों में वर्गिकृत किया जा सकता है। ***1) संस्थागत वित्तीय स्त्रोत*** – जिसमें सरकार, व्यापारीक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि का समावेश होता है। ***2) गैर–संस्थागत वित्तिय स्त्रोत*** – जिसमें महाजन, साहुकार, भूस्वामी, व्यापारी आदि का समावेश होता है।

भारत में कृषि/ग्रामीण साख के स्त्रोत

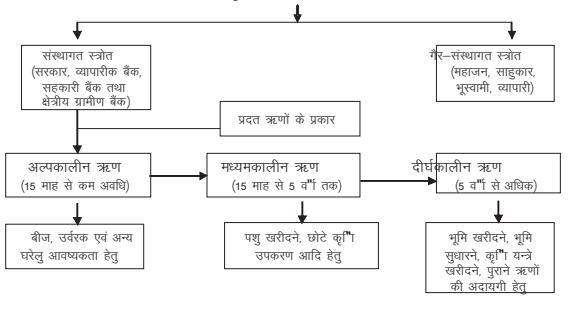

किसान क्रेडिट कार्ड : किसान क्रेडिट कार्ड ने गावों में रह रहें लोगों की ऋण समस्या को खत्म कर दिया है। चूंकी गांव में रहने वाले ज्यादाजर लोगों के पास कुछ न कुछ खेती का काम होता है। ऐसे में किसान खेती के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेता है। और समय पर बुवाई, मडाई करके न सिर्फ पर्याप्त उत्पादन प्राप्त करते है बल्कि उपज बेचकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन भी कर रहे है। किसान क्रेडिट कार्ड ने गांवों में चलने वाली साहुकारी प्रथा को खत्म कर दिया है। अब केंद्र सरकारने समय पर ऋण चुकाने पर सिर्फ चार फीसही व्याज पर ऋण देने की घोषना करके ग्रामीण जनजीवन को आर्थिक समृध्दि प्रदान करने का काम किया है। इस तरह किसान क्रेडिट कार्ड देश के किसानों की जीविका का साधन बना हुआ है। वाणिज्यिक , क्षेत्रीय ग्रामीण, बैंको व सहकारी बैंको से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किसान क्रेडीट कार्ड योजना को अगस्त 1998 में शुरू किया गया। उसका क्रियान्वय 27 वाणिज्यिक बैंको, 368 जिला केंद्रीय सहकारी बैंको व 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के माध्यम से किया जा रहा है। 31 अक्टूबर 2006 इस योजना को राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण लेने वालों के सभी प्रकार के ऋणों पर लागू कर दी गई है। किसान क्रेडिट कार्डची जिम्मेदारी संभाली त्ठप और नाबार्ड ने। पहली बार वर्ष 1998–99 में 6,07,225 कार्ड जारी हुए वही 2001–2002 में यह आंकडा 93,40,534 तक पहुॅच गया 2008–2009 में 8,46,67,000 एवं मार्च 2010 में यह संख्या 9,36,73,000 तक पहुंच गई। इस योजना में किसानों को उसकी जोत के आधर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पैकेज किसान क्रेडिट कार्डधरकों को प्रदान किया जाता है। यह योजना देशभर के सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की मृत्यू या स्थायी अक्षमता को शामिल करती है। इसमें 70 वर्ष तक की आयु के सभी कार्डधारी किसानों को शामिल किया गया है। यदि कार्डधारी की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, जो कि बाहय, हिंसक तथा दृष्टिगत कारणों से हो तो उसके परिजन को 50,000 रूप्ये एवं स्थायी पूर्ण अक्षमता की स्थिती में भी 50,000 रूपये प्रदान किए जाते है। यदि दो अंग या आंख खो जाने पर भी परिजन को 50,000 रूपये देने का प्रावधान है। इसी तरह एक अंग या एक आंख खराब होने पर कार्डधारी को 25,000 रूपये देने का प्रावधान है। इस योजना में प्रत्येक किसान क्रेडिट कार्डधारक के लिए लागू 15 रूपये वार्षिक प्रिमियम में से 10 रूपे बैंक तथा 5 रूपये किसान क्रेडिट कार्ड धारक को देना होता है।

क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन : किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने तक उपज को रोकने में सक्षम बनाने के लिए कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा 1 अप्रैल 2005 से क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन नामक कृषि ऋण योजना मल्टी कमोडीटी एक्सचेंज ऑफ इंडीया के सहयोग से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसान अपनी उपज का सैंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के किसर गोदाम में अथवा एमसीएक्स द्वारा मान्यताप्राप्त किसी गोदाम में भण्डारण करके उसकी रसीद के आधार पर कॉर्पोरेशन बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। 2 लाख रूपए तक के ऋणके लिए ब्याज 9 : व इससे अधिक राशी के ऋण के मामले में यह 9.5 : होगी।

वर्तमान ऋण वितरण स्थिती : वर्तमान में देश में कृषि साख प्रमुख रूप से विभिन्न संस्थागत वित्तिय स्त्रोतों के माध्यम से वितरीत की जा रही है। इस समय देश में सहकारी क्षेत्र में प्राथमिक कृषि साख समितीयां, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंको के माध्यम सें कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवा रहे है। कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए संस्थागत ऋण का प्रवाह जो 1999–2000 में 46,268 करोड रूपये था, बढकर 2004–2005 में 1,15,243 करोड रूपये हो गया। कृषि को प्राप्त कुल संस्थागत ऋणों में वाणिज्यिक बैंको का हिस्सा लगभग 63 प्रतिशत है। और उसके बाद सहकारी बैंको का हिस्सा 27 प्रतिशत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का हिस्सा कुल ऋण संवितरण में केवल 10 प्रतिशत है। वर्ष

2004–2005 के दौरान कृषि ऋण में 32 प्रतिशत कि वृद्धि हुई। 2009–2010 में कृषि ऋण के लिए 3,25,000 करोड रूपये के लक्ष्य की तुलना में बैंकिंग प्रणाली ने कृषि क्षेत्र को 3,84,514 करोड रूपये का ऋण संवितरित किया जो लक्ष्य कि तुलना में लगभग 18 प्रतिशत अधिक था। वाणिज्यिक बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने मिलकर 2009–2010 दौरान 77.49 लाख नए किसानों को ऋण प्रदान किए और सहकारी बैंको ने 13.43 लाख नए किसानों को ऋण प्रदान किए। इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली व्दारा नव–वित्तपोषित किसानों की कुल संख्या 90.92 लाख हो गई है।

मार्च 2010 की स्थिती के अनुसार वित्तपोषित किए गए कृषिय ऋणों की कुल संख्या 4.82 करोड थी। वाणिज्यिक बैंको, सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको व्दारा 2010–2011 दौरान सितंबर 2010 तक कृषि क्षेत्र को कुल ऋण वितरण 1,94,392.63 करोड रूपए का था जो 3,75,000 करोड रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 52 प्रतिशत है। भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण : 1) ग्रामीण ऋणग्रस्तता का मूल कारण कृषकों की निर्धनता था। उनकी दयनीय आर्थिक स्थिती है। 2) ग्रामीण ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण पैतृक ऋण भी है जो उचित प्रतिबन्ध के अभाव में पिढीदरपिढी हस्तान्तरित होता रहता है और समय के साथ बढता जाता है। 3) भारत में तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि पर जनसंख्या का भार निरन्तर बढता जा रहा है। कृषि पर निर्भरता बढती जाने से आय घटती है। लिए ऋण लेकर ही कार्य चलाया जाता है। 4) भारतीय कृषि आज भी प्रकृति पर निर्भर करती है। इससे उत्पादन प्रभावित होता है। तो जीवन–निर्वाह के लिए कृषक को ऋण लेने के लिए बाध्य होना पडता है। 5) सामाजिक एवं धार्मिक रितीरिवाजों के फलस्वरूप होनेवाले अनुत्पादक व्यय भी ऋणग्रस्तता क

कारण है। 6) साहुकारों के चंगुल में फसने से कृषक ऋणग्रस्त हो जाते है। 7) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सम्बन्धी विवादों को लेकर मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति पायी जाती है। इस कार्य के लिए ऋण लेना पडता है। 8) खेती का पिछडापन के कारण भूमि सुधार के लिए ऋण का सहारा लेना पडता है। 9) ग्रामीण ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण पूरक आय–साधनों का अभाव होना भी है। 10) दोषपूर्ण विपणन प्रणाली के कारण ऋण लेना पडता है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या का समाधान : 1) कृषकों की ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण उनकी निर्धनता है। अतः उनकी आर्थिक स्थिती में सुधार हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए उन्हे स्वावलंबी बनाने हेतु जैविक खेती का आधार लेना चाहिए। 2) कृषक के अनावश्यक एवं अनुत्पादक व्ययों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए पंचायत प्रणाली को प्रोत्साहन देना चाहिए। 3) बहुउद्देशिय सहकारी समितीयों का गठन किया जाना चाहिए जो किसानों को साख की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ विपणन तथा भूमि सुधार आदि में भी किसानों की सहायता करें। 4) लगान के नियमों को और अधिक उदार बनाया जाना चाहिए तथा प्राकृतिक अपदा आदि के समय कृषकों को लगान में छूट दि जानी चहिए। 5) आपदा के समय किसानों को आर्थिक सहायता दि जानी चाहिए। 6) किसानों कि फसल का बीमा किया जाना चाहिए। 7) जैविक खेती को उत्तेजन देना चाहिए तथा बीज, उर्वरक के लिए किसान औरों पर निर्भर न रहे इसके लिए उन्हें स्वयंपूर्ण बनाना चाहिए।8) साख संस्थाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। 9) खेती पूरक रोजगार साधन उपलब्ध कराना होगा जैसे, गो पालन जिससे जैविक उर्वरक, किटकनाशक, उर्जा (बायोगैस), पर्यावरण संरक्षण आदि से कृषक की आर्थिक उन्नती हो सके। साहूकारों तथा महाजनों पर नियंत्रण लगाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने समय–समय पर अधिनियम बनाये है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक व्यावसायिक बैंको की शाखाओं को खुलवाने का प्रयास कर रहीं है ताकी ग्रामीण कृषक अपनी बचतों को बैंको में जमा कर सके तथा आवश्यकता पडने पर ऋण प्राप्त कर सके। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी साख संस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने समय–समय पर पुराने ऋणों को समाप्त करने अथवा उनमें कमी करने के उद्देश्य से कानुन बनाए है।

संदर्भ : 1) यादव सुबहसिंह, कृषि अर्थव्यवस्था, रावन पब्लिकेशन्स, जयपूर, 1992.2) प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था, 2006, पृष्ठ क्र. 803) प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, भारतीय अर्थव्यवस्था, 2007, पृष्ठ क्र. थ76 4) पुरोहित वसुधा, भारतीय अर्थव्यवस्था, विद्या बुक्स पब्लिशर्स, औरंगाबाद, जून 2008.5) रूद्र दत्त, के.पी.एम. सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस.चन्द एन्ड कं. लि., नई दिल्ली, 2009. 6) डपेतं दृच्नतपए प्दकपंद म्बवदवउलए भ्पउंसंलं च्नइसपींपदह भ्वनेमए छमू क्मसीपए 2009ण्7) घाटगे लालासाहेब नारायणराव, वावरे अनिलकुमार, भारतीय अर्थव्यवस्था, निराली प्रकाशन, पुणे, जून, 20108) झामरे जी.एन., भारतीय अर्थव्यवस्था विकास व पर्यावरणात्मक अर्थशास्त्र, पिंपळापुरे ॲन्ड कं. पब्लिशर्स नागपूर, जुलै 2010.9) यादव सावित्रि, किसान केडिट कार्ड से खत्म हुई किसानों की ऋण समस्या, कुरूक्षेत्र वर्ष 57, अंक8, जुन 2011,पृष्ठ क्र. 3. 10) गजेन्द्र कुमार रावत, ग्रामीण कृषकों के लिए ऋण व्यवस्था, कुरूक्षेत्र वर्ष 57, अंक 8, जुन 2011, पृष्ठ क्र. 10. 11) मोदि अनिता, ग्रामीण विकास में संस्थागत ऋणों की भूमिका, कुरूक्षेत्र वर्ष 57, अंक 8, जुन 2011, पृष्ठ क्र. 28.